रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 1971/पौष 30, 1892

No. 9] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 1971/PAUSA 30, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 20th January 1971

SUBJECT.—*Licensing conditions for the £1 million segment for I.F.C.I. under U.K./India Capital Investment Loan, 1969.*

No. 9-ITC(PN)/71.—The terms and conditions governing the issuance of import licences under the £1 million segment for I.F.C.I. under U.K./India Capital Investment Loan, 1969, as given in Appendix to this Public Notice are notified for the information of the trade.

APPENDIX

Licencing conditions for the £ 1 Million segment for I.F.C.I. under U.K./India Capital Investment Loan, 1969.

I. *Basic conditions*

(1) The licence will bear the superscription—"U.K./India Capital Investment Loan 1969: I.F.C.I. segment."

(2) *No remittance of foreign exchange is permitted against this import licence, except U.K. bank charges* which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian Rupee to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

(3) The licence will be issued with an initial validity period of twelve months. Firm orders on CIF or C&F basis must be placed *within four months from the date of issue of the import licence.* If orders cannot be placed within four months for valid reasons, the licence should be submitted to the licensing authority during the 5th month giving the reasons for the delay in placing orders and indicating the date by which orders would be placed and extension in the period for ordering as necessary. Such requests will be considered on merits by the CCI&E. in consultation with the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) where necessary. (*It should be noted that unless ordering is completed within 4 months or the entended period allowed by the licensing authority in any case, the authorised dealers in foreign exchange will not permit establishment of letters of credits, or deposit of rupee equivalents*).

(4) All *payments* must be completed within one month after expiry of licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. No credit facility of any kind will be permitted.

II. *Special points to be incorporated in the orders/contracts*

(1) While placing firm orders/contracts, which must be placed *only on suppliers in the U.K.* (which expression includes the Channel Islands and the Isle of Man), the licensee must ensure by a provision in the same that the goods purchased are or *will be wholly or mainly produced or manufactured in the U.K.*, or in the case of Chemicals and allied products are duly declared to be of U.K. origin on the form attached as Annexure V(B). When the contract also provides for works and services in connection with the purchase of such goods it must similarly be ensured by a suitable provision therein that such works and services are or will be provided by persons ordinarily resident or carrying on business in the U.K.

(2) A clause should be included in the contract to the effect that the contract is subject to and will become effective only on approval by the Industrial Finance Corporation of India (IFCI for short) in the case of contracts upto £ 10,000 in value and the Ministry of Overseas Development of the U.K. Government in cases exceeding £ 10,000 in value.

(3) In the case of contracts upto a value of £ 10,000 which do not need the approval of the U.K. authorities—*vide* (2) above, if the non-U.K. element is likely to exceed 10 per cent of the F.O.B. value of the contract, this should be brought to the notice of the IFCI who will consult the Department of Economic Affairs and obtain their approval, and only thereafter should firm commitments be entered into.

(4) It should be provided in the contract that the contract certificate, invoice and payment certificates should indicate the complete licence No. & date and the name of the loan.

(5) Payments to the U.K. Suppliers can be arranged only in the manner prescribed in Section IV below, and on the production of documents specified in Section V; the payment and documentation procedure should be appropriately incorporated in the contract.

III. *Contract Acceptances: Notification of contracts and amendments thereto*

(1) Within a fortnight of placing of contracts, the licence should *forward four copies of the contract/or notification of contract (attached as Annexure VI)*, to the I.F.C.I. accompanied by *five copies of the suppliers "Contract Certificate"* (in the form attached as Annexure VA or VB as is appropriate).

N.B.—As no payments can be made unless the contract is accepted by I.F.C.I. or the U.K. Govt. as is appropriate, it is most imperative for the licensee to ensure that copies of contracts/notifications of contract along with supplier's contract certificates are forwarded to the I.F.C.I. at the earliest.

(2) While forwarding the above documents to the IFCI it must be ensured that complete licence No. and date and loan No. are clearly noted in the documents.

(3) The IFCI will send two copies of the contract or Notification of Contract duly countersigned by them, and three copies of the contract certificate, to the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London for their record (when the contract is upto £ 10,000 in value), and for obtaining the acceptance of the Ministry of Overseas Development of the U.K. Government to the contract when the contract exceeds £ 10,000 in value. (Simultaneously, one set of documents would be sent by IFCI to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi). As soon as possible after the acceptance or non-acceptance of the contract by the U.K. Government is ascertained (in cases where such approval is required), the U.K. Suppliers as well as licensee and the IFCI will be informed of the same direct by the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London under advice to the Ministry of Finance.

(4) If at any time a contract (being a contract in respect of which acceptance of U.K. Govt. has been obtained or is pending) is amended, or if liability is incurred or is to be incurred thereunder to a greater amount than the amount specified in the Contract Certificate, the licensee should *Promptly* forward to the I.F.C.I., the relevant supplementary or revised documents, copies of amendments to contracts and revised Contract Certificates—so as to enable them to notify the same to the U.K. Govt. for obtaining their acceptance. As soon as acceptance to an amendment to the contract/order is obtained from the U.K. Govt. (in cases where such approval is required), the licensee and the IFCI will be notified of the same in the same manner as was done for the contract.

(5) If, in any case, the contract is with the Indian agent of the foreign supplier, the contract with the Agent should indicate the name and address of the U.K. Supplier to whom payment is to be made for the Sterling portion of the contract, which alone will qualify for payment under the loan. Copies of such contracts (or of contracts placed by Indian Agents with U.K. Suppliers, if there are such separate contracts) should be sent as prescribed above.

IV. *Payments to U.K. Suppliers—Letter of Credit Procedure*

(1) After the contract has been approved by the I.F.C.I. or the ODM, as the case may be, and on completion of legal formalities between the licensee and the IFCI, the latter will instruct the licensee to request the Ministry of Finance (Dpartment of Economic Affairs), Economic Aid Accounts Branch, New Delhi for a letter of authorisation to the I.F.C.I. for opening a letter of credit and send a copy of their instructions to the Ministry of Finance.

(2) The request for the letter of authorisation (in the form given in Annexure I and accompanied by a guarantee from the IFCI as in Annexure II) should be addressed by the licensee to the Senior Accounts Officer, Economic Aid Accounts, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi, promptly after the receipt of the instructions aforesaid from the I.F.C.I.

(3) If the application is found to be in order, the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, will issue an authorisation for the requisite amount to the importer and the IFCI. The Department of Economic Affairs will also advise the U.K. Bank concerned and the CAO, London suitably. The advice to the U.K. Bank will, however, be sent to the IFCI along with their copy of the authorisation letter, who should then transit it to the U.K. Bank while opening the letter of credit.

(4) The Letter of Credit should be opened within three weeks from the date of issue of the authorisation under intimation to the Ministry of Finance failing which the authorisation will lapse. The Letter of Credit should detail the conditions to which the licence is subject, should provide for payments to the suppliers on the submission of all the documents detailed in Section V below; should contain adequate instructions regarding the despatch of documents after payment; and should be opened subject to the condition that the correspondent banks in the U.K. would, after making payments to the beneficiaries initially out of their own funds, obtain reimbursement therefor from the State Bank of India, London, through the Chief Accounting Officer to the High Commission for India, London. The IFCI's instructions regarding the opening of Letter of Credit must accord completely with the authorisations issued by the Ministry of Finance. There should be no discrepencies in any respect.

(5) The Letter of Credit should be clearly marked with the Loan title and with the ODM contract approval number, in cases where such approval is required.

V. *Documentation*

(1) The importer is responsible to see that the U.K. Supplier completes and submits the documents detailed below to the U.K. Bank at the time of claiming payment for the goods supplied.

(i) The *original* invoice, with *four* photocopies or *copies* by any other process. [The invoice should show the name and address of the importer; quantity and detailed description of each item supplied; sales price for each item reflecting all trade discounts; the basis of delivery (F.O.B., C&F, C.I.F. and F.A.S); and the sterling cost of any incidental services including delivery services or marine or transportation insurance.]

(ii) One copy (or photostat) of ocean or charter-party bill of landing or airway bill or parcel post receipt. (The Bill of Lading shall indicate the carrier's statement of charges in whatsoever currency it is paid.)

(iii) *Four*, copies of the payment certificate in the form given in Annexure VII [not required in respect of contracts for which a contract certificate (chemicals) in the form given in Annexure V(B) has been provided] (For this purpose, *five* blank forms of the payment certificate should be attached to the Letter of Credit application, for completion by the suppliers.)

Each document must show the loan number, details of import licence, and if possible, the particulars of the Letter of Credit authorisation issued by the Ministry of Finance.

(2) While opening Letter of Credits the IFCI will, on behalf of the importer take care to incorporate necessary conditions to ensure that the above requirements of documentation are noted and compelled with by the U.K. Suppliers.

(3) After payment is made to the Supplier, the correspondent Bank in the U.K. will send by *air mail* the original negotiable set of documents to the licensee direct, and a set of non-negotiable documents to the IFCI, along with a statement of their sterling bank charges. The IFCI will remit the Bank charges to the U.K. Bank and recover the same from the importer. Simultaneously, the Bank will claim the reimbursement of the amounts paid by it to the Supplier from the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London and will submit for this purpose invoices received from the Suppliers and payment certificates as in Annexure VII were required. The Chief Accounting Officer, High Commission of India, London will arrange payment to the U.K. Bank through the State Bank of India, London.

VI. *IFCI's responsibilities for Rupee deposits*

(1) Within seven days of the receipt of non-negotiable import documents from the U.K. Bank, the IFCI will deposit into Govt. account the rupee equivalent of the payments made by the U.K. banks determined at the rate of Rs. 18.18 per £ 1.00 [see Note (i) below] plus interest charges at 6 per cent per annum for the period from the date of payment to the U.K. suppliers by the U.K. Bank to the date of deposit of the rupee equivalent.

(2) Th amount referred to above should be deposited by the IFCI to the credit of the Govt. of India in the Reserve Bank of India, New Delhi; or the State Bank of India, Delhi; or if this is not feasible, should be remitted by means of Demand Draft drawn on and in favour of the State Bank of India, Tis-Hazari Branch, Delhi. Thereafter, the Treasury Challan evidencing the deposit should be sent *by registered post* to the Senior Accounts Officer, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi, indicating reference to and enclosing copies of the invoices/shipping documents, and the authorisation of that Department to which the transaction relates. The IFCI shall also arrange to deposit (in the same manner as above) such additional amounts on account of Service Charges as may be demanded by the Govt. of India, within seven days after such demand. (IFCI should also fill in, in duplicate, the Form "S" incorporated in Annexure II of the Public Notice No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968 and present the same to the Bank while arranging for rupee deposits in accordance with the procedure prescribed in the said Public Notice).

(3) The amounts including interest charges to be deposited to the Credit of the Govt. of India shall be creditable under the Head of Account "Section T—Deposits and Advances—Part II—Deposits—Deposits not bearing interest. (c) Other deposits accounts—Civil Deposits—Deposits for purchase abroad from U.K.—Purchases under U.K. Loan—purchases under U.K./India Capital Investment Loan 1969—£ 1 M. IFCI segment" and the Accountant General, Central Revenues, New Delhi shall be shown as the accounts Officer who will adjust these credits.

(4) After the obligations in terms of the Guarantee and the Letter of Credit authorisation issued by the Ministry of Finance are fulfilled, the IFCI can apply to the Senior Accounts Officer, Economic Aid Accounts Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, for the release of the Guarantee. The application must be made by the IFCI (not by the importers) and must be in the form laid down in Annexure IV.

(5) *The rate of exchange* viz. £ 1—*Rs.* 18.18 *mentioned above is the prevailing 'composite' rate of exchange and any change in the same will be notified as and when decided upon by the Govt. of India.*

VII. *Reports on the utilisation of the import licence*

A monthly report, in the form attached in Annexure III, showing the utilisation status of the licence, should be furnished on the 15th of each month to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch, New Delhi, with a copy to the IFCI and also to the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs, Department of Industrial Development, Foreign Exchange Credit Section, Udyog Bhavan, New Delhi.

VIII. *Miscellaneous instructions*

(1) *Refunds from U.K. Suppliers.*—If any money is recevied by the licensee from the U.K. Suppliers or a guarantor (insurance company etc.) as a refund or in settlement of insurance claim or otherwise, such amounts should be refunded by the supplier to the correspondent Bank in the U.K. (from which the payment was initially made to the suppliers) *with instructions to refund the amount immediately, in turn, to CAO, High Commission of India, London for crediting the loan Account.* After the loan amount is so credited, an equivalent amount in rupees will be arranged to be refunded to the importer by the Ministry of Finance, upon receipt of claim therefore from the importer. If any refund is received after the close of the loan, the same will have to be made by the supplier direct to the importer.

As and when any such refund is received, a report thereof should also be made to the Ministry of Finance with a copy to the Ministry of Industrial Development Internal Trade and Company Affairs, (Department of Industrial Development), Foreign Exchange Section, Udyog Bhavan, New Delhi.

(2) *Notifying Suppliers of special conditions.*—The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

(3) *Disputes.*—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licensee and the suppliers.

(4) *Future Instructions.*—The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Govt. regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the credit agreement.

(5) *Breach or violation.*—Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

IX. *List of Annexures by Titles*

Annexure I: Form of Application for Letter of Credit Authorisations.

Annexure II: Guarantee form.

Annexure III: Monthly Report on ordering and utilisation of I/L.

Annexure IV: Form of application for release of Guarantee.

Annexure V(A) Contract Certificate.

Annexure V(B): Contract Certificate (Chemicals).

Annexure VI: Contract Notification.

Annexure VII: Payment Certificate.

ANNEXURE I

Form of application for letter of credit authorisation

To

The Senior Accounts Officer,
Economic Air Accounts Branch,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
Jeevan Deep Building,
Parliament Street,,
New Delhi.

SUBJECTS—*Import of* ————————*from U.K. under U.K. Loan*————.

Sir,

In connections with the import of————————from UK against the above UK Loan, we furnish the following particulars to enable you to issue us authorisation for opening a Letter of Credit through I.F.C.I. on the U.K. Bank (designated by licensee).

(a) Particulars of Import Licence—

No. & Date	Value Rs.	Date upto which valid.

(b) Sterling value of licence.

(calculated at £ 1 per Rs. 18)

(c) Sterling value of the orders placed for which authorisation is required specifying the name and address of the UK Supplier/suppliers and the amount/s of authorisations required separately against each supplier (copy of orders placed and UK Suppliers' acceptance thereof to be attached.)

(d) Name of UK Correspondent Bank who will advise the Letter of Credit.

The Guarantee furnished by I.F.C.I. and which has been duly adjudicated by the Collector in accordance with the provisions of Section 31 of the Stamp Act, 1899 is attached.

Place: Yours faithfully,

Date: Signature of the Licensee & full address.

N.B.—Please indicate specifically the name and address of the UK Bank on whom the Letter of Credit is to be established.

ANNEXURE II

Form of Guarantee

To

The President of India,
through Secretary to the Government of India,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
New Delhi.

Sir,

In consideration of the President of India hereinafter referred to as 'the Government' having agreed to arrange for payment in foreign currency of the price of goods to be imported by

*(i) ——————
(ii) ——————
(iii) ——————
(iv) ——————
(Names and address)

Individual/partner working under name and style of
Messrs——————
——————

*Messrs——————a company having its registered office at——————In the State of——————hereinafter referred to as the 'Importers' under import licence No.——————dated——————granted for——————Rupees, we deposit to the credit of the Government in the Reserve Bank of India, New Delhi hereby guarantee that we shall arrange State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi or by means of a Demand Draft drawn on and in favour of State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi (for credit to the Central Government Account) to be forwarded to the said Tis Hazari Branch.

(i) Within seven days of the receipt of advice of payment with shipping documents, from the UK Banks, of rupee equivalent of the invoice price representing the sterling disbursement made by the UK Banks under the letter of credit established by us against the letter of credit authorisation issued by the Ministry of Finance at the rate of Rs. 18.18 per £ 1.00 along with interest thereon at six per cent per annum from the date of payment to UK suppliers to the date of deposit of rupee equivalent. We note that this rate of conversion is subject to revision if and when the IMF parity rate undergoes a change.

(ii) Within seven days of the demand by the Government of such additional amount as may be demanded by the Government as being due on account of service charges.

2. We,——————agree and undertake not to revoke this guarantee during its currency except with the previous consent of the Government in writing.

3. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the Importers or of our institution.

4. The Government shall have the fullest liberty without affecting this guarantee to vary any of the terms of the Import Licence detailed above or to extent the time for payment by the Importers from time to time or to postpone for any time and from time to time any of the powers exercisable by it against the importers and we,——————shall not be released from our liability under this Guarantee by any exercise by the Government of the liberty with reference to the amount aforesaid or by reason of any such variation or extension of time

being given to the importers or any forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the Importers or by any of the matters or things whatsoever which under the law relating to sureties shall but for this provision have the effect of so releasing us———————— from our such liability.

†5. Our liability under this bond/guarantee is restricted to Rs.———————— (plus interest and service charges as aforesaid not expected to exceed 1 per cent) and it will remain in force till the**————day of———(month)———197 . Unless claims under the bond/guarantee are made in writing within six months of this date and unless a suit or action to enforce these claims is *commenced* within another six months thereafter *i.e.* upto———————— all Government's rights under this bond/guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Place: Yours faithfully,

Date: (Signature of the Authorised Officer of the I.F.C.I.)

(The Guarantee is to be executed on a non-judicial stamp paper, the value of the stamp being adjudicated by the Collector of Stamps in accordance with the provisions of Section 31 of the Indian Stamp Act, 1899).

*Strike out what is not applicable.

**This date shall be arrived at by adding one month to the date by which all payments are expected to be finalised.

†The guarantee should be for the full value of the import licence + 1 per cent thereof.

ANNEXURE III

Monthly Report of Utilisation of Licence

Form of Utilisation Report in Respect of U.K. Credits

(to be furnished separately in respect of each licence)

1. Name of the Importing Firm.
2. Particulars of UK Credit.
3. No. & Date of the import licence.
4. Value of the Import Licence.
5. Value of the complete contracting documents forwarded so far to the Ministry of Finance (Please give details of Contract Nos. & Value).
6. Value of the Contracts approved by the UK Government as notified by the High Commission of India.
7. Payments made to the UK Suppliers (upto-date).
8. Payments yet to be made in respect of the contracts already approved. Indicate quarterly phasing of future payments.
 (i) during January to March.
 (ii) during April to June.
 (iii) during July to September.
 (iv) during October to December.
9. Value of further orders intended to be placed on UK Suppliers.
10. Surrenders, if any.

Signature of the Authorised Officer of the Importing Firm

ANNEXURE IV

Form of Application for release of Guarantee

The Senior Accounts Officer,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
Jeevan Deep Building,
Parliament Street,
New Delhi.

Sir,

We are furnishing below detailed information on the rupee deposit made by us in discharge of our obligations under Guarantee No.———— dated———— for an amount of Rs————with the request that the same may be released and returned to us

1. The name and full address of the importer/licensee on whose behalf the guarantee was furnished.

2 The Import Licence No, date, value and brief description of the commodities allowed for import thereunder;

3 Particulars of the authorisation(s) for opening Letter of Credit obtained from the Ministry of Finance.

(a) Letter No. & Date.

(b) Amount of authorisation

(c) UK Loan No.

4 Particulars of Imports and rupee deposits made (to be given separately for each Letter of Credit Authorisation).

(a) Particulars of Letters of Credit opened (No, date, value and the suppliers name).

(b) Invoice No and date relative to each Letter of Credit.

(c) Amount of invoice (net) in sterling

(d) Amount of rupee dsposit.

(e) Relative Challan No. & date and the name of Treasury/bank

(f) If by demand draft, No & date of the demand draft and the No. and date of the Letter with which the draft was sent to the State Bank of India, Delhi.

5 Amount utilised and balance unutilised (sterling) in each Letter of Credit Authorisation.

II. We certify that.

(1) *The balance amount of £————available in the authorisation(s) given by the Ministry of Finance has not been utilised/will not be utilised

or

no letter of credit was opened under the authorisation(s) and the authorisation(s) lapsed.

or

the letter(s) of credit opened against the authorisation letter(s) expired unutilised.

and (3) Our obligations under the guarantee in question have been duly discharged.

III. We request that the guarantee may please be released and returned to us for cancellation.

Yours faithfully,

Authorised Officer for and on behalf of I.F.C I.

*Whichever is applicable.

ANNEXURE V (A) United Kingdom/India Capital Investment Loan, 1969

£ million IFCI Segment Contract Certificate Particulars of contract.

Particulars of contract

1. Date of Contract———————

2. Contract No.———————

3. Description of goods or services to be supplied to the purchaser———————

If a number of items are to be supplied, a detailed list should be appended to this Certificate.

4. Total contract price payable by purchaser (state CIF, C&F or FOB) £———————

IF GOODS ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTIONS MUST BE COMPLETED. If the contractor is exporting agent only, the information requested should be obtained from manufacturer.

5. Estimated per cent of the FOB value of the goods not originating in the United Kingdom, but purchased by the contractor directly from abroad, *i.e.* per cent of imported raw material or components used to manufacture.

(a) per cent FOB Value———————

(b) Description of items and brief specifications———————

6. If any raw material or components used originated from abroad, *e.g.* copper, asbestos, cotton, wood pulp, etc., but have been purchased in the United Kingdom by the contractor for this contract, specify:—

(a) per cent FOB Value———————

(b) Description of items and brief specifications———————

IF SERICES ARE TO BE SUPPLIED, THE FOLLOWING SECTIONS SHOULD ALSO BE COMPLETED

7. State the estimated value of any work to be done or services performed in the purchaser's country by:—

(a) Your firm (site engineer's charges, etc.)———————

(b) Local contractor———————

8. Qualifying remarks as necessary in respect of paragraphs 5, 6 or 7 above———

9. I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the Contractor named below and have the authority to sign this certificate. I hereby under-take that in performance of the contract no goods or services which are not of United Kingdom origin will be supplied by the Contractor, other than those specified in paragraphs 5, 6, 7 and 8 above.

NOTE : For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

Signed.....
Position held.....
Name and Address of Contractor
.....
Date.....

FOR OFFICIAL USE ONLY Name or Number of Project				PAYMENT			
Amount Commited	Date of Entry	Acceptance		Date	Amount	PA No.	Initials
		Date	Initials				

ANNEXURE V(B)

United Kingdom/India Capital Investment Loan 1969

(£ 1 *million I.F.C.S.I. Segment*).

CONTRACT CERTIFICATE FOR CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS ONLY

1. Date of Contract.....Contract No.
Import Licence No.
Project Title (If appropriate)

2. Description of Product (s) to be supplied to Purchaser (Note A)	£ Price	UK Tariff Classification No. (Note B)	Is the product of UK Origin? (See Note C) State 'Yes' or 'No'

3. Total— (estimated) Contract Price payable by Purchaser in Sterling £———

4. (Declaration) I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the contractor named below and have the authority to sign this certificate and that the above information is correct.

Signed———
Position held———
Name and Address———
of Contractor
———

Date———

NOTES

A. This form is only to be used for chemical and allied products, most of which are covered by the Appropriate sub-headings of Chapters 15, 25, 28-35 and 37-40 of the U.K. Tariff.

B. SEE:

(i) H.M. Customs and Excise Tariff H.M.S.O.

(ii) Classification of Chemicals in Brussels Nomenclature H.M.S.O.

C. (i) A product is regarded as U.K. origin if made either wholly from indigenous U.K. materials OR according to the appropriate EFTA qualifying process using imported materials wholly or in part.

(ii) The EFTA qualifying processes are set out in Schedule I of the EFTA Compendium for use of Exporters' H.M.S.O.

(iii) For the purposes of this declaration it is to be emphasised that the 'alternative percentage criterion' does not apply.

(iv) The words Area Origin where they appear in the above Schedule must be taken to mean U.K. Origin only.

(v) For the purposes of this declaration, the Basic Materials List (Schedule III of the EFTA compendium) does not apply.

(vi) If a qualifying process is not listed for the material in question, advice should be sought from Loans Administration Section, Finance Department, Ministry of Overseas Development, Eland House, Stag Place, London, S.W.I.

D. For the purpose of this declaration the U.K. includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE VI

NOTIFICATION OF CONTRACT

United Kingdom India Capital Investment Loan 1969

(£ 1 *million I.F.C.I. Segment*)

To

The Ministry of Overseas Development,
Eland House,
Stag Place,
London, S.W.1.

Notification of Contract No.....

The following are details of a contract under which it is proposed that payments shall be made in accordance with the terms and conditions of the above Loan.

1. Name and address of United Kingdom contractor.
2. Date of Contract.
3. Name of Purchaser.
4. Short description of goods, and/or works or services.
5. Value of Contract.
6. Terms of Payment.

Signed by or on behalf of———— the importer.

Date.....

Countersigned.

Signature of the Authorised Officer———— of the I.F.C.I.

Dated.....

ANNEXURE VII

United Kingdom/India Capital Investment Loan 1969

£ 1 million pound I.F.C.I. Segment

Payment Certificate

I, hereby certify that

1. the payments referred to in the invoices listed below, which are copies of which accompany this payment certificate, fall due and are due to be made in respect of Contract No.————————dated————————between the contractor named below and————————/Purchaser/————————and are in accordance with the particulars of this contract notified in the contract certificate signed on behalf of the said contractor on————————

Contractor's Invoice No.	Date	Amount £	Short description of goods, works and/or services

2. The amounts specified in paragraph 1 do not include any additional foreign content to that declared in Paragraphs 5, 6 or 7 of the contract certificate.

3. I have the authority to sign this certificate on behalf of the Contractor named below.

Signed.....
Position held.....
For and on behalf of.....
Name and address of Contractor....
.....
Date.....

NOTE.—For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 20 जनवरी 1971

विषय.—यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण 1969 के अन्तर्गत आई० एफ० सी० आई० के लिए 10 लाख पौंड खण्ड के लिए लाइसेंस शर्तें।

सं० 9 आई० टी० सी० (पी० एन०)/71.—प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दिए गये के अनुसार यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण 1969 के अन्तर्गत आई० एफ० सी० आई० के लिए 10 लाख पौंड खंड के लिए आयात लाइसेंसों को जारी करने के लिए लागू होने वाले नियम तथा शर्तें व्यापार के सूचनार्थ अधिसूचित कर दी जाती हैं।

यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण 1969 के अन्तर्गत आई० एफ० सी० आई० के लिए 10 लाख पौंड खंड के लिए लाइसेंस शर्तें।

1. मूल शर्तें :

(1) लाइसेंस का यह शीर्षक होगा— "यू० के० / भारत पूंजी निवेश ऋण 1969 आई० एफ० सी० आई० खंड",

(2) य० के० बैंक खर्चे जो सामान्य बैंकिंग सूत्र के माध्यम से प्रेषण किए जा सकते है। उनके अतिरिक्त, प्रस्तुत लाइसेंस के लिए किसी भी विदेशी मुद्रा के प्रेषण की स्वीकृति नही दी जाती है। भारतीय अभिकर्ता के कमीशन का कोई भी भुगतान भारत मे रहने वाले अभिकर्त्ताओ को भारतीय रुपयो मे किया जाना चाहिए। लेकिन, इस प्रकार का भुगतान लाइसेंस मूल्य के एक अश से होगा और इसलिए खर्च, लाइसस के लिए वसूल किया जाएगा।

(3) लाइसेंस 12 महीने की प्रारम्भिक वैध अवधि के लिए जारी किया जाएगा। फर्म आदेश लागत बीमा–भाडा अथवा लागत भाडा के आधार पर **आयात लाईसेंस जारी किए जाने की तारीख से चार मास के** भीतर अवश्य दे दिए जाने चाहिए। यदि वैध कारणो से चार मास के भीतर आर्डर नही दिए जा सकते हो, तो आर्डर देने मे हुए विलम्ब का कारण बताते हुए तथा यह सकेत करते हुए कि आर्डर कब तक दिया जाएगा और आर्डर देने के लिए कितनी अवधि की वृद्धि चाहिए जसा आवश्यक हो, 5 वे मास के दौरान लाइसेंस प्राधिकारी को लाइसेंस प्रस्तुत कर देना चाहिए। एसे अनुरोधो पर जहा आवश्यक होगा, वित्त मत्रालय (अर्थकार्य विभाग) के साथ परामर्श कर पात्रता के आधार पर मुख्य नियत्रक, आयात–निर्यात द्वारा विचार किया जाएगा। **(इस ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक आर्डर देने का काम चारमास की अवधि या लाइसस अधिकारी द्वारा किसी मामले में बढ़ाई गई स्वीकृत अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता है, तब तक विदेशी मुद्रा देने के प्राधिकृत व्यापारी साखपत्र को स्थापना करने या समतल्य रुपये को जमा करने के लिए अनुमति नहीं देंगे)।**

(4) लाइसेंस की समाप्ति के बाद एक मास के भीतर सभी प्रकार के भुगतान अवश्य ही पूर हो जाने चाहिए। अलग अलग भुगतानो की व्यवस्था माल के पोत लदान होने पर होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की साख सुविधा की अनुमति नही दी जाएगी।

2. **आदेश संविदाओं में सम्मिलित की जाने वाली विशेष बात**

(1) जब फर्म आर्डर/सविदा दी जा रही हो, जोकि यू० के० सभरको को दी जानी चाहिए (जिस की अभिव्यक्ति मे चैनल आइलैण्ड तथा आइल आफ मैन शामिल है) लाइसेंसधारी को उसी मे दी गई एक व्यवस्था द्वारा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि खरीदें गए माल पूर्णतया या **प्रधानतया यू०के०में उत्पादित अथवा निर्मित है या होंगें** अथवा रसायनो तथा सम्बद्ध उत्पादो के मामले मे अनुबन्ध–(बी) के अनुसार प्रपत्र पर विधिवत घोषित होना चाहिए कि वे यू०के० मूल के है। जब इस प्रकार के माल खरीदने से सम्बन्धित कार्य तथा सेवाओ की भी व्यवस्था करती है, तो उसमे निहित उपयुक्त व्यवस्था द्वारा इसी प्रकार यह भी सुनिश्चत कर देना चाहिए कि एसे कार्य तथा सेवाए साधारणतया य० के० निवासी अथवा जो वहा व्यापार कर रहा उसके द्वारा प्रदान की जाती है अथवा की जाएगी।

(2) संविदा में एक यह धारा शामिल की जानी चाहिए कि संविदा केवल इस शर्त के अधीन हैं या होगी कि 10,000 पौण्ड मूल्य तक के संविदाओं के मामले में भारत के औद्योगिक वित्त निगम द्वारा तथा 10,000 पौण्ड मूल्य से अधिक की संविदाओं के मामले में यू०के० सरकार के समुद्र पार विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृति लेने पर ही लागू होगी।

(3) 10,000 पौण्ड मूल्य तक के संविदाओं के मामले में (जिस के लिए यू० के० प्राधिकारियों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है– उपर्युक्त कडिका (2) देखिए) यदि, गैर–यू० के० घटक के मूल्य मे संविदा के पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ने की सम्भावना हो, तो इसके लिए आई० एफ० सी० आई० को आगाह करना चाहिए, जो अर्थकार्य विभाग से सम्पर्क स्थापित करेगा और उनकी स्वीकृति प्राप्त करेगा, और केवल ऐसा करने के पश्चात् ही फर्म बायदों को प्रविष्टि किया जाना चाहिय।

(4) संविदा में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि संविदा, संविदा प्रमाणपत्र, बीजक तथा भुगतान प्रमाणपत्र में लाइसेंस की संख्या तथा तिथि और ऋण का नाम पूर्ण रुप से संकेतिक करें।

(5) नीचें खंड–4 में विहित विधि के अनुसार, तथा–5 में विशिष्टिकृत दस्तावेंजों को प्रस्तुत करने पर, यू०के० संभरकों के लिए भुगतान की व्यवस्था की जा सकती है; भुगतान तथा प्रलेखन कार्यविधि संविदा में उचित रुप से समाविष्ट की जानी चाहिए।

3. संविदा स्वीकृति, संविदाओं की अधिसूचना तथा तत्सम्बन्धी संशोधन :

(1) संविदाएं देने के 15 दिन के भीतर ही लाइसेंस धारी को चाहिए कि वह संविदा अथवा संविदा अधिसूचना की चार प्रतियां (संलग्न अनुबन्ध–6 के रुप में) संभरक के "संविदा प्रमाण पत्र" की पांच प्रतियों के साथ (सलग्न अनुबन्ध –5 ए अथवा 5–बी के रुप में, जो भी उपयुक्त हो) आई० एफ० सी० आई० को भेजवें।

विशेष ध्यान दीजिए:– चूंकि जब तक संविदा यू0 के सरकार अथवा आई० एफ० सी० आई० द्वारा जैसा उचित हो, स्वीकृत नहीं करली जाती है, कोई भी भुगतान नहीं किया जा सकता है, इसलिए लाइसेंस धारी के लिए यह अच्छी तरह जान लेना अतिआवश्यक है कि संविदा / संविदा की अधिसूचनाओं की प्रतियां संभरक के प्रमाण पत्रों के साथ शीघ्रातिशीघ्र आई० एफ० सी० आई० को भेज दी जाती हैं।

(2) आई० एफ० सी० आई० को उपयुक्त दस्तावेज भेजते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दस्तावेजों में लाइसेंस संख्या तथा दिनांक और ऋण संख्या का संकेत का ठीक रुप से कर दिया गया है।

(3) आई० एफ० सी० आई० संविदा की दो प्रतियां अथवा संविदा प्रमाणपत्र की तीन प्रतियां जो उनके द्वारा विधिवत् प्रति हस्ताक्षरित होंगी, मुख्य लेखा अधिकारी, भारत के उच्चायोग को उनके रिकार्ड के लिए भेजेगा (जब संविदा 10,000 पौड तक के मूल्य का है) और जब संविदा का मूल्य 10,000 पौड से अधिक हो, तो संविदा के लिए यू० के० सरकार के समुद्रपार मंत्रालय की स्वीकृति लेने के लिए उनको भेजेगा। (इसी तरह, दस्तावेजो का एक सैट आई० एफ० सी० आई० द्वारा वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, आर्थिक सहायता लेखा शाखा, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजा

जाएगा)। यू० के० सरकार द्वारा सविदा की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति (उन मामलों में जिनमें इस प्रकार की स्वीकृति अपेक्षित है) का निश्चय होने के बाद यथासम्भव जितना शीघ्र हो सकेगा इसकी सूचना वित्त मंत्रालय की सलाह लेकर मुख्य लेखाअधिकारी, भारत के उच्चायोग, लंदन द्वारा सीधे ही यू०के० संभरक के साथ ही साथ लाइसेंसधारी तथा आई० एफ० सी० आई० को दे दी जाएगी।

(4) यदि किसी समय एक संविदा (ऐसी सविदा के सम्बन्ध में जिसके लिए यू० के० सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गई अथवा प्राप्त करना बाकी है), संशोधित की जाती है अथवा इसके अन्तर्गत सविदा प्रमाण पत्र में विशिष्टिकृत धन-राशि से अधिक के लिए दायित्व शामिल किया गया है अथवा उसमें किया जाना है, तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह शीघ्र ही सम्बन्धित अनुपूरक दस्तावेजों, संविदा के लिए संशोधित प्रतियां, तथा संशोधित प्रमाण पत्रों को आई० एफ० सी० आई० को भेजें ताकि वे यू० के० सरकार की स्वीकृति लेने के लिए उसकी सूचना यू० के० सरकार को देने में सक्षम हो सके । जैसे ही यू० के० सरकार द्वारा सविदा / आदेश के लिए संशोधन को स्वीकृति प्राप्त होती है (उन मामलों में जिन में इस प्रकार की स्वीकृति अपेक्षित है), लाइसेंसधारी तथा आई० एफ० सी० आई० को उसी विधि से अधिसूचित किया जाएगा जैसा कि सविदा के मामले में किया गया था।

(5) यदि, किसी मामले में, विदेशी संभरक के भारतीय अभिकर्त्ता के साथ संविदा की जाती है, तो अभिकर्त्ता के साथ की गई सविदा में यू० के० संभरक जिसके लिए सविदा के स्टर्लिंग भाग का भुगतान किया जाना है, उसका नाम व पता सकेतिक होना चाहिए, जो केवल यही ऋण के अन्तर्गत भुगतान के लिए पात्र होगा। ऐसी सविदाओं की प्रतियां (अथवा भारतीय अभिकर्त्ता द्वारा यू० के० संभरकों के साथ की गई संविदाएं, यदि कोई अलग रुप से ऐसी सविदाएं है) उपयुक्त निर्धारित विधि के अनुसार भेजी जानी चाहिए ।

4. **यू० के० संभरकों के लिए भुगतान साख पत्र की प्रक्रिया**—

(1) आई०एफ०सी०आई० अथवा ओ०डी०एम०द्वारा संविदा स्वीकृत होने के पश्चात्, जैसा भी मामला हो, और लाइसेंस धारी तथा आई० एफ० सी० आई० के बीच कानूनी औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर, पश्चादुक्त, वह लाइसेंस धारी साख पत्र खोलने के लिए आई० एफ० सी० आई० के लिए प्राधिकरण पत्रहेतु वित्त मंत्रालय (अर्थ–कार्य विभाग) आर्थिक सहायता लेखा शाखा, नई दिल्ली को प्रार्थना करने के लिए अनुदेश देगा और अपने अनुदेशों की एक प्रति वित्त मंत्रालय को भेजेगा।

(2) लाईसेंसधारी द्वारा प्राधिकरण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र (अनुबन्ध–1 में दिए गए प्रपत्र अनुसार और आई० एफ० सी० आई० द्वारा अनुबन्ध–2 में दी गई गारन्टी के साथ) आई० एफ० सी० आई० से उपर्युक्त अनुदेशों की प्राप्ति के शीघ्र बाद , मुख्य लेखा, अधिकारी, आर्थिक सहायता लेखा शाखा वित्त मंत्रालय (अर्थकार्य विभाग) जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लिामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को सम्बोधित किया जाना चाहिए ।

(3) यदि आवेदन पत्र विधिवत् पाया जाता है, तो वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग आयातक तथा आई० एफ० सी० आई० को अपेक्षित धन राशि के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेगा। अर्थकार्य विभाग सम्बन्धित यू० के० बैंक तथा सी ए ओ, लन्दन को भी उपयुक्तानुसार परामर्श देगा। लेकिन यू० के० बैंक के लिए परामर्श उनके प्राधिकरण पत्र की प्रति के साथ आई० एफ० सी० आई० को भेजा जाएगा जिसे चाहिए कि साख पत्र खोलते समय फिर उसे यू० के० बैंक को प्रेषित करें ।

(4) वित्त मंत्रालय को सूचित करते हुए प्राधिकरण पत्र के जारी होने की तिथि के तीन सप्ताह के भीतर साख पत्र खोला जाना चाहिए ऐसा न करने की स्थिति में प्राधिकरण पत्र समाप्त हो जाएगा। साख पत्र में लाइसेंस के लिए जो शर्तें हों उनका ब्योरा होना चाहिए, नीचे लिखे खंड पांच के अनुसार विस्तृत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर संभरकों के लिए भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए, भुगतान के पश्चात् दस्तावेजों को भेजने के संदर्भ में पर्याप्त अनुदेश होने चाहिएं, और इस शर्त के अधीन खोला जाना चाहिए कि यू० के० के सम्बन्धित बैंक प्रारम्भ में अपने खाते में से लाभ अनुग्रहियों को भुगतान करने के पश्चात् मुख्य लेखा अधिकारी भारत के उच्चायोग लंदन के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इन्डिया से उसके लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करेगा। साख पत्र खोलने के सम्बन्ध में आई० एफ० सी० आई० के अनुदेश, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्राधिकरणों के अनुसार पूर्णतया होने चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी विसंगति नहीं होनी चाहिए।

(5) साख पत्र में ऋण शीर्षक तथा उन मामलों में जहां इस प्रकार की स्वीकृति अपेक्षित है, ओ० डी० एम० के साथ की गई संविदा की स्वीकृति संख्या का साफ साफ संकेत होना चाहिए।

5: प्रलेख पोषण:—

(1) यह देखने की जिम्मेदारी आयतक की है कि यू० के० संभरक भेजे गए माल के लिए भुगतान की मांग करते समय नीचे लिखे दस्तावेजों के विवरण को पूरा करता है और यू० के० बैंक को प्रस्तुत करता है:—

(1) चार फोटो प्रतियां अथवा अन्य किसी विधि से तैयार की गई प्रतियां के साथ मूल बीजक (बीजक में) आप्रातक का नाम व पता; मात्रा तथा संभरण की गई प्रत्येक मद का विस्तृत ब्योरा, समस्त व्यापार छूटों को प्रकट करते हुए प्रत्येक मद के लिए विक्रय मूल्य, दाति का आधार (पोत पर्यन्त निःशुल्क, लागत तथा भाड़ा, लागत बीमा भाड़ा तथा एफ० ए० एस०); तथा दाति सेवाओं अथवा समुद्री अथवा परिवाहन बीमे को शामिल करते हुए किसी भी प्रकार की प्रासंगिक सेवाओं की स्टर्लिंग कीमत प्रदर्शित होनी चाहिए)।

(2) समुद्र अथवा चार्टर—पार्टी की बिल्टी वायुयान बिल, अथवा पार्सल डाक पावती की एक प्रति (अथवा फोटोस्टेट प्रति) (जो भी मुद्रा खर्चे के लिए चुकाई गई है उसके परिवहन ब्योरे का संकेत बिल्टी करेगी)।

(3) अनुबन्ध 7 में विहित प्रपत्र के अनुसार भुगतान प्रमाण पत्र की चार प्रतियां (ऐसी संविदा लिए, जिसके अनुबन्ध–पांच (बी) में विहित प्रपत्र में एक संविदा प्रमाण पत्र (रसायनिक) की व्यवस्था कर दी गई है, अपेक्षित नहीं है) (इस कार्य के लिए भुगतान प्रमाण पत्रों के पांच बिना पूरा किए हुए प्रपत्र, संभरक द्वारा पूरे किए जाने के लिए साख पत्र आवेदन के साथ संलग्न किए जाने चाहिएं)।

प्रत्येक दस्तावेज में ऋण संख्या, आयात लाइसेंस का ब्यौरा और यदि संभव हो, तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साख पत्र प्राधिकरण पत्र का ब्यौरा संकेतिक होना चाहिए।

(2) साख पत्र खोले जाने के समय, आई० एफ० सी० आई० आयातक की ओर से इसका सुनिश्चय करने के लिए कि उपर्युक्त दस्तावेजों की आवश्यकताओं को नोट कर लिया जाता है और यू० के० संभरकों द्वारा उनका पालन किया जाता है आवश्यक शर्तों को शामिल करने के लिए ध्यान रखेगी।

(3) संभरक को भुगतान करने के पश्चात्, यू० के० में सम्बन्धित बैंक मूल्य प्रशाम्य दस्तावेजों के सट को हवाई डाक द्वारा सीधे लाइसम धारी को भेजेगा, और गैर प्रशाम्य दस्तावेजों के एक सैट को अपने स्टर्लिंग बैंक प्रभारो के एक विवरण के साथ आई० एफ० सी० आई० को भेजेगा। आई० एफ० सी० आई० बैंक खर्चों को यू० के० बैंक के लिए प्रेषित करेगी और आयातक से उसकी वसूली करेगी। साथ ही साथ, बैंक अपने द्वारा संभरकों को किए गए भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा मुख्य लेखा अधिकारी भारत के उच्चायोग, लन्दन से करेगा, और इस कार्य के लिए संभरकों द्वारा प्राप्त किए गए बीजकों को तथा जो भुगतान प्रमाण पत्र अनुबन्ध –7 के अनुसार अपेक्षित थे, प्रस्तुत करेगा। मुख्य लेखा अधिकारी, भारत के उच्चायोग, लन्दन, स्टेट बैंक आफ इन्डिया, लन्दन के माध्यम से यू० के० बैंक के लिए भुगतान की व्यवस्था करेगा।

6. **रुपया निक्षेपों के लिए आई० एफ० सी० आई० की जिम्मेदारियां :**

(1) यू० के० बैंक द्वारा गैर प्रशाम्य दस्तावेजों की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर आई० एफ० सी० आई०, यू० के० बैंकों द्वारा किए गए भुगतानों के संतुल्य रुपये को जिसकी दर 1.00 पौंड के लिए 18.18 रुपये निश्चित की गई है [कृपया नीचे दी टिप्पणी (1) देखें] और य० के० संभरक को यू० के० बैंक द्वारा भुगतान की तिथि से लेकर सन्तुल्य रुपया जमा कराने की तिथि तक की अवधि के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक दर से सूद खर्चों के साथ सरकार के खाते में जमा कराएगा।

(2) उपर्युक्त धनराशि आई० एफ० सी० आई० द्वारा भारत सरकार के खाते में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, नई दिल्ली अथवा स्टेट बैंक आफ इन्डिया दिल्ली में जमा कराई जानी चाहिए; अथवा यदि ऐसा संभव न हो तो स्टेट बैंक आफ इन्डिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली के नाम में डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित की जानी चाहिए। तत्पश्चात् बीजक/पोतलदान दस्तावेजो तथा उस विभाग का वह प्राधिकरण जो लेन-देन से सम्बन्धित है उसके सन्दर्भ का उल्लेख कर और उनकी प्रतियां सलंग्न कर जमा देने का साक्ष्याकन करते हुए राजकोष चालान रजिस्ट्री डाक से वरिष्ट लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य सहायता लेखा अनुभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पालियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजा जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा मांग किए जाने पर सात दिन के भीतर आई० एफ० सी० आई० सेवाओं से सम्बन्धित अतिरिक्त खर्चों को ऐसी राशि को भी जो सरकार द्वारा मांगी जाए जमा करने की भी व्यवस्था (उपर्युक्त विधि के अनुसार) करेगा। [आई० एफ० सी० आई० को यह भी चाहिए कि सार्वजनिक सूचना संख्या 184–आई टी सी (पी एन) / 68, दिनांक 30–8–68 के अनुबन्ध –2 में शामिल किए गए "एस" प्रपत्र की दो प्रतियों को भर कर उक्त सार्वजनिक सूचना में विहित विधि के अनुसार रुपया निक्षेपों की व्यवस्था करते समय उन्हे बैंक को प्रस्तुत करें]।

(3) सूद खर्चों को शामिल करते हुए राशि, जो भारत सरकार के खाते में जमा की जानी है, वह इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराई जाएगी "सैक्शन टी–डिपोजिट एन्ड एडवान्सेज –पार्ट––2 डिपोजिट –डिपोजिट जिस में सूद नही है। (सी) अन्य डिपोजिट लेखे––सिविल डिपोजिट––यू० के० से बाहर की खरीद के लिए डिपोजिट ––यू० के० के ऋण के अन्तर्गत खरीद–य० के० / भारत पूँजी निवेश ऋण 1969––1000000 पौंड आई० एफ० सी० आई० खंड के अन्तर्गत तथा महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली, लेखा अधिकारी के रूप में दिखाया जाएगा जो इन साखों को समायोजित करेगा।

(4) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साख-पत्र प्राधिकरण तथा गारंटी के सम्बन्ध में दायित्व पूरे हो जाने के पश्चात्, आई० एफ० सी० आई० गारंटी के बंटन के लिए मुख्य लेखा-अधिकारी, आर्थिक सहायता लेखा शाखा, वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग को आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र आई० एफ० सी० आई० द्वारा ही दिया जाए (आयातक द्वारा नहीं) और वे आवश्यक रूप से अनुबन्ध–4 में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार होने चाहिए ।

(5) **उपर्युक्त मुद्रा दर अर्थात् 1 पौंड - 18-18 रुपये पूर्व प्रचलित मिली-जुली मुद्रा दर है और उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन होने स्थित में, भारत सरकार द्वारा जब जैसा निश्चित किया जाएगा उसे अधिसूचित कर दिया जाएगा ।**

7. **आयात लाइसेंस के प्रयोग किए जाने के संबंध में रिपोर्ट :**

अनुबन्ध-3 में सम्बद्ध प्रपत्र के रूप में लाइसेंस के उपयोग किए जाने की स्थिति को प्रदर्शित करते हुए एक मासिक रिपोर्ट मास की 15 तारीख को वित्त मंत्रालय, अर्थ-कार्यविभाग, आर्थिक सहायता लेखा शाखा, नई दिल्ली को और एक प्रति आई० एफ० सी० आई० तथा औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय, औद्योगिक विकास अनुभाग, विदेशी साख विनिमय अनुभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली को भी भेजी जानी चाहिए।

8. **विविध अनुदेश :**

(1) **यू० के० संभरकों द्वारा अदायगी :** लाइसेंस धारी द्वारा यदि किसी प्रकार की राशि यू० के० संभरक अथवा गारंटी कर्त्ता (बीमा कम्पनी इत्यादि) से अदायगी के रूप में अथवा बीमा दावे की व्यवस्था करने के रूप में अथवा अन्य रूप से प्राप्त की जाती है तो ऐसी राशि संभरक द्वारा यू० के० में सम्बन्धित बैंक को (जिसके द्वारा प्रारम्भ में संभरक को भुगतान किया गया था) **इन आदेशों के साथ साथ वापस की जाती कि वे उस राशि को शीघ्र ही सी० ए० ओ० भारत के उद्योग भवन को ऋण लेखे में साख करने के लिए वापिस करें ।** इस प्रकार जमा की गई ऋण राशि के पश्चात् आयातक को रुपये में सम्तुल्य राशि वापिस करने की व्यवस्था आयातक द्वारा दावे की एक रसीद प्रस्तुत करने पर वित्त मंत्रालय द्वारा की जाएगी। यदि ऋण के समाप्ति होने के पश्चात् कोई वापसी प्राप्त होती है तो उसे संभरक द्वारा आयातको को सीधे ही अदा कर दिया जाएगा ।

जब कभी इस प्रकार की वापसी प्राप्त होती है तो उसकी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए और उसकी एक प्रति औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) विदेशी मुद्रा शाखा उद्योग भवन नई दिल्ली को भी भेजी जानी चाहिए।

(2) **विशेष शर्तों के अधिसूचित किए जाने वाले संभरक :** यदि आयात लाइसेंस में किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं हों जिनसे कार्रवाई का सम्पादन करने में संभरक प्रभावित हो सकते हों तो लाइसेंस धारी को चाहिए कि वह उस से संभरक अवगत करादे ।

(क) **झगड़े**—यह जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो भारत सरकार किसी प्रकार का उत्तर दायित्व नहीं लेगी।

(4) **आगे के लिए अनुदेश** : आयात लाइसेंस या इससे सम्बन्धित किसी एक या सभी मामलों पर तथा ऋण करार के अन्तर्गत सभी प्रकार के आभारों को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों, अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी तुरन्त अनुपालन करेगा।

(5)—**उल्लंघन या अतिक्रमण** : उपर्युक्त कंडिका में दी गई शर्तों के उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

9. **शीर्षकों के अनुसार अनुबंधों की सूची**

अनुबन्ध–1 साख प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन-पत्र।

अनुबन्ध–2 गारंटी प्रपत्र ।

अनुबन्ध–3 आयात लाइसेंस के लिए आदेश देने तथा उसका उपयोग किए जाने के सम्बन्ध में मासिक रिपोर्ट ।

अनुबन्ध –4 गारंटी के बंटन करने से सम्बन्धित आवेदन-पत्र का प्रपत्र ।

अनुबन्ध –5(ए) संविदा प्रमाण-पत्र ।

अनुबन्ध–5(बी) संविदा प्रमाण-पत्र (रासायनिक)

अनुबन्ध–6 संविदा अधिसूचना ।

अनुबन्ध –7 भुगतान प्रमाण-पत्र ।

अनुबन्ध 1

(साखपत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन-पत्र)

सेवा में

वरिष्ठ लेखा अधिकारी,
अर्थकार्य सहायता लेखा शाखा,
वित्त मंत्रालय,
अर्थकार्य विभाग,
जीवन दीप बिल्डिंग,
पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली ।

विषय :—यू० के० ऋण के अन्तर्गत
यू० के० से का आयात ।

महोदय,

उपर्युक्त यू० के० ऋण के लिए यू० के० से का आयात करने के सम्बन्ध में, हम लोग निम्नलिखित विवरण भेजते हैं, जिससे आप हमें आई० एफ० सी० आई० द्वारा यू० के० बैंक में (लाइसेंसधारी द्वारा मनोनीत) साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकरण जारी

करने मे समर्थ हो सके :—

(क) आयात लाइसेंस का विवरण : मूल्य तिथि जब तक वह वैध है ।
सख्या और तारीख (रुपयो मे)

(ख) लाइसेंस का स्टर्लिंग मे मूल्य
(प्रति पौड 18 रुपये की दर से परिकलित)

(ग) यू० के० संभरक/सभरको का नाम और पता बताते हुए दिए गए आदेश का स्टर्लिंग मूल्य जिस के लिए प्राधिकरण की जरूरत है और प्रत्येक संभरक के लिए (दिए गए आदेश और उसके लिए यू० के० सभरक की स्वीकृति की प्रति संलग्न की जानी है) अलग अलग अपेक्षित प्राधिकरण की धन राशि/राशियां ।

(घ) संबद्ध यू० के० बैंक का नाम जो साख-पत्र की सलाह देगा । स्टेम्प एक्ट, 1899 की धारा 31 मे दी गई व्यवस्थाओ के अनुसार कलक्टर द्वारा विधिवत् न्याय-निर्णीत गारन्टी जो आई० एस० सी० आई० द्वारा प्रस्तुत की गई, सलग्न है ।

स्थान
दिनाक

भवदीय,
(लाइसेस-धारी के हस्ताक्षर तथा पूरा पता)।

विशेष ध्यान दीजिये

कृपया उस यू० के० बैंक का नाम तथा पता विशेष रूप से निर्दिष्ट करें जिस मे साख-पत्र स्थापित किया जाना है ।

अनुबंध—2

गारंटी प्रपत्र

सेवा मे

भारत के राष्ट्रपति द्वारा,
सचिव, भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग,
नई दिल्ली ।

भारत के राष्ट्रपति के विमर्श से जिसे आगे सरकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया, निम्न-लिखित द्वारा आयात किए जाने वाले माल की कीमत का विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की व्यवस्था करने को सहमत है ।

(1) फर्म का नाम तथा किस्म जिस के
(2) अधीन व्यक्ति / भागीदार काम कर
(3) रहा है ।
(4)

(नाम और पते)

*सर्वश्री कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय राज्य में जिन्हें बाद में आयात लाइसेंस सं० दिनांक के अन्तर्गत "आयातकों" के रूप में उल्लेख किया गया और रुपये स्वीकृत किए गए, हम इसके द्वारा गारन्टी देते हैं कि रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, नई दिल्ली / स्टेट बैंक आफ इन्डिया, दिल्ली, तीस हजारी शाखा, दिल्ली अथवा स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा दिल्ली के नाम वर्शानी हुंडी द्वारा (केन्द्रीय सरकार के लेखे में जमा करने के लिए, जो उक्त तीस हजारी शाखा के लिए प्रेषित किया जाना है), सरकार के खाते में जमा करने की व्यवस्था करेंगे ।

(1) यू० के० बैंक से जहाजरानी दस्तावेजों के साथ भुगतान की सूचना की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर, वित्त मंत्रालय से जारी किए गए साख प्राधिकरण जिसकी दर प्रति पौंड 18.18 रुपये हैं हमारे द्वारा स्थापित साख-पत्र के अन्तर्गत यू० के० बैंक द्वारा स्टर्लिंग में किए गए भुगतान को दर्शाते हुए बीजक कीमत के संतुल्य रुपये में भुगतान को और उस पर यू० के० संभरक को भुगतान की तारीख से संतुल्य रुपये जमा करने की तिथि तक 6 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा किया जाएगा । हम जानते हैं कि जब कभी आई एम एफ समानता दर में परिवर्तन होता है, तो यह दर अदला बदली दर परिवर्तन के अधीन है ।

(2) सेवा-प्रभार के लिए बकाया रहने वाली रकम जैसा कि सरकार द्वारा उसकी मांग की जा सकती है इस प्रकार की अतिरिक्त राशि सरकार द्वारा मांग किए जाने के सात दिनों के भीतर जमा करेंगे ।

2. हम इस बात से सहमत हैं और जिम्मेदारी लेते हैं कि सरकार से लिखित रूप में पूर्व परामर्श लेने के सिवाय और किसी भी स्थिति में इस गारंटी को इसकी मुद्रा अवधि में रद्द नहीं करेंगे ।

3. समें निहित गारंटी में किसी प्रकार के परिवर्तन होने से आयातकों के या हमारी संस्था के संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

4. सरकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि इस गारंटी को प्रभावित किए बिना ऊपर उल्लिखित आयात लाइसेंस की शर्तों में परिवर्तन करे या आयातकों के विरुद्ध इसके द्वारा व्यवहार्य किसी भी शक्ति से आयातकों द्वारा भुगतान की अवधि को समय-समय पर बढ़ा दे या उसे किसी समय के लिये और समय-समय पर स्थगित करे और हम ऊपर बताई धन-राशि की स्वतंत्रता के संदर्भ में सरकार द्वारा प्रयुक्त किसी भी शक्ति से इस गारंटी के अन्तर्गत अपनी स्वतंत्रता से अथवा इस प्रकार के अन्य किसी परिवर्तन के कारण अथवा आयातकों को अवधि वृद्धि की जाने के कारण या सरकार की ओर से

कोई स्थगन, कार्यवाही या विलेपन या आयातकों को सरकार की तरफ से किए गए अनुग्रह के कारण या कोई मामला अथवा बात, चाहे जो भी हो, जो विधि के अन्तर्गत जमानतों से संबंधित हो, लेकिन यह व्यवस्था हमें इस प्रकार की स्वतंत्रता से उन्मुक्त नहीं करेगी।

5. इस बांड/गारंटी के अन्तर्गत हमारा उत्तरदायित्व रुपये तक प्रतिबंधित है (इसमें ब्याज और ऊपर कथित सेवा-प्रभार जिसकी संभावना 1 प्रतिशत से अधिक होने की नहीं है, इसमें शामिल होगा) और यह दिन* मास 197..तक लागू रहेगा। जब तक इस बांड/गारंटी के अन्तर्गत मांगे लिखित रुप में इसकी तिथि से छः मास के भीतर पूरा नहीं कर ली जाती और जब तक उसके बाद दूसरे छ मास के भीतर उनकी मांगों के लिए मुकद्दमा या कार्यवाही लागू न हो जैसे तक, इस बांड/गारन्टी के अन्तर्गत सरकार के सभी अधिकारों द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा और हम लोग इसके अन्दर निहित सारी जिम्मेदारियों से मुक्त और उन्मुक्त कर दिए जाएंगे।

स्थान :
दिनांक :

भवदीय,
(आइ० एफ० सी० आई० के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

(गारन्टी का कार्यान्वयन न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर किया जाना है, इस स्टाम्प पेपर का मूल्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 31 के अनुसार स्टाम्प कलक्टर के द्वारा न्याय-निर्णित किया जाना है।)

गारन्टी आयात लाइसेंस के पूरे मूल्य के और उसके एक प्रतिशत के लिए होनी चाहिए।

*जो लागू न हों, उन्हें काट दीजिए।

**सभी भुगतानों की जो तारीख निश्चित की जाने की सम्भावना की जाती है, उस तारीख के एक और माह के साथ यह तारीख लागू होगी।

अनुबंध 3

लाइसेंस के उपयोग किए जाने से संबंधित मासिक रिपोर्ट यू० के० साखों के सम्बन्ध में उपयोग की जाने वाली रिपोर्ट का प्रपत्र

(इसे प्रत्येक लाइसेंस के संबंध में अलग से भेजा जाना है)

1. आयात करने वाली फर्म का नाम।

2. यू० के० साख का विवरण।

3. आयात लाइसेंस की संख्या और तारीख।

4. आयात लाइसेंस का मूल्य ।

5. वित्त मंत्रालय को अब तक पूरी संविदा प्रतियों का जो मूल्य भेजा गया है (कृपया संविदा की संख्याओं और मूल्यों का ब्यौरा दीजिए) ।

6. यू० के० सरकार द्वारा स्वीकृत संविदाओं का मूल्य जैसा कि भारत के उच्चायोग द्वारा अधिसूचित किया जाता है ।

7. यू० के० संभरक को किए गए भुगतान (अब तक) ।

8. पहले से ही स्वीकृत हो चुकी संविदाओं के संबंध में अभी तक किए जाने वाले भुगतान ।

भावी भुगतान की आवधिक स्थिति का संकेत करें।

(1) जनवरी से मार्च के दौरान

(2) अप्रैल से जून के दौरान ।

(3) जुलाई से सितम्बर के दौरान ।

(4) अक्तूबर से दिसम्बर के दौरान ।

9. यू० के० संभरकों को और आगे दिए जाने वाले आदेशों का मूल्य ।

10. अभ्यर्पण, यदि कोई हो ।

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर

अनुबन्ध 4
गारन्टी मुक्त कराने के लिए आवेदन प्रपत्र

सेवा में,

लेखापाल अधिकारी,
वित्त मंत्रालय,
अर्थ कार्य विभाग,
जीवन दीप बिल्डिंग,
पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली ।

महोदय,

हम गारंटी सं०————————दिनांक————————राशि रुपये————————के अन्तर्गत अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में जो रुपये जमा किए थे उनका विस्तृत ब्यौरा नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं और अनुरोध करते हैं कि इसे मुक्त करके हमें वापस किया जाए :—

1. आयातक/लाइसेंस-धारी जिनके नाम में गारंटी दी गई थी, उनका नाम तथा पूरा पता ।

2. आयात लाइसेंस सं०, दिनांक, मूल्य और इसके अन्तर्गत आयात के लिए स्वीकृत की गई मदों का संक्षिप्त विवरण ।

3. साख-पत्र खोलने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा प्राप्त किए हुए प्राधिकरण(णों) का ब्यौरा ।

(क) पत्र सं० तथा दिनांक

(ख) प्राधिकरण पत्र की राशि

(ग) यू० के० ऋण सं०

4. किए गए रुपये निक्षेपों का तथा आयातों का विवरण (प्रत्येक साख प्राधिकरण-पत्र के अलग रूप से दिया जाना है) ।

(क) खोले गए साख पत्रों का ब्यौरा (सं०, दिनांक, मूल्य तथा संभरक का नाम)

(ख) बीजक सं० तथा प्रत्येक साख-पत्र के लिए सम्बन्धित तारीख

(ग) बीजक की स्टरलिंग में (वास्तविक) राशि

(घ) जमा की गई राशि

(ङ) सम्बन्धित चालान सं० तथा दिनांक और राजकोष/बैंक का नाम

(च) यदि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा है तो डिमांड ड्राफ्ट की सं० तथा दिनांक और जिस पत्र के साथ, डिमांड ड्राफ्ट स्टेट बैंक आफ इंडिया को भेजा गया था, उस की संख्या ।

5. प्रत्येक साख प्राधिकरण पत्र की कितनी राशि प्रयोग की जा चुकी है और कितनी प्रयोग नहीं की गई (स्टरलिंग में)

2. हम प्रमाणित करते हैं कि :

(1) *वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए प्राधिकरण-पत्र (पत्रों) में मौजूद———————————————पौंड राशि का प्रयोग नहीं किया गया है / प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

अथवा

प्राधिकरण पत्र के अन्तर्गत कोई साख-पत्र नहीं खोला गया था और प्राधिकरण पत्र (पत्रों) समाप्त हो गए हैं ।

अथवा

प्राधिकरण पत्र के लिए साख-पत्र (पत्रों) खोले गए थे और बिना प्रयोग किए समाप्त हो गए थे । और (3) अपेक्षित गारंटी के अन्तर्गत हमारे दायित्व विधिवत पूर्ण किए जा चुके हैं ।

3. हम अनुरोध करते हैं कि गारन्टी मुक्त की जाए और रद्द करने के लिए वापस की जाए।

भवदीय,

आई० एफ० सी० आई० के लिए

और उनकी तरफ से प्राधिकृत अधिकारी

*जो भी लागू हो।

अनुबन्ध-5(ए)

[यू० के० भारत पंजी निवेश ऋण, 1969

10 लाख पौंड आई० एफ० सी० आई० खंड संविदा प्रमाण पत्र

संविदा का विवरण]

1. संविदा तारीख———————————————

2. संविदा संख्या———————————————

3. खरीदार को दिए जाने वाले माल अथवा सेवाओं का विवरण यदि बहुत सी मदें भेजी जानी हैं तो इस प्रमाण-पत्र के साथ उस की एक विस्तृत सूची लगा देनी चाहिए।

4. खरीदार द्वारा चुकाई जाने वाली संविदा की कुल कीमत (लागत बीमा भाड़ा, लागत भाड़ा या जहाज पर्यन्त निशुल्क) पौंड———————————————

यदि माल का संभरण किया जाना है, तो निम्नलिखित खंडों को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। यदि संविदा कर्ता केवल निर्यातक अभिकर्ता है, तो मांगी गई सूचना निर्माणकर्त्ता से प्राप्त की जानी चाहिए।

5. जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के प्रतिशत का लगाया गया अनुमान जो माल यू० के० मूल के नहीं हैं, किन्तु संविदा कर्त्ता द्वारा बाहर से सीधे ही खरीदे गए हैं, जैसे आयातित कच्चे माल या संघटक जो निर्माण के काम में आते हैं, उनका प्रतिशत।

(क) प्रतिशत जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य———————————————

(ख) मदों का विवरण और संक्षिप्त विशिष्टकरण———————————————

6. यदि विदेश मूल के किसी कच्चे माल या संघटक का उपयोग किया जाता है, उदाहरणार्थ ताम्बा, अब्सटस, कपास, लकड़ी, लुगदी आदि, लेकिन संविदाकर्त्ता द्वारा इस संविदा के लिए इनकी खरीद यू० के० में की गई है, तो इन्हें विशिष्टकृत करें———————————————

(क) प्रतिशत जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य————————————

(ख) मदों का विवरण और संक्षिप्त विशिष्टकरण————————————

यदि सेवाएं प्रदान की जानी हैं, तो निम्नलिखित खंडों की पूर्ति की जानी चाहिए ।

7. नीचे लिखे द्वारा किए गए किसी काम या खरीदार के देश में निष्पादित सेवाओं का अनुमानित मूल्य बताएं :—

(क) आप की फर्म (स्थल, अभियान्त खर्च आदि)————————————

(ख) स्थानीय संविदाकर्त्ता————————————

8. उपयुक्त कंडिका 5, 6, 7 तथा 8 के सम्बन्ध में जैसा आवश्यक हो, अर्हक अंक दें—

9. मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्त्ता द्वारा मैं यू० के० में नियोजित किया गया हूं और इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकार मुझे प्राप्त है । मैं एतद्द्वारा यह जिम्मेदारी लेता हूं कि उपर्युक्त कंडिका 5, 6, 7 तथा 8 में विशिष्टकृत को छोड़ कर किसी और माल या सेवाओं का जो यू० के० मूल नहीं हैं, संविदा के निष्पादन में संभरण नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षरित— ————————————

पद जिस पर वह है————————————

संविदाकर्त्ता का नाम और पता————————————

दिनांक————————————

टिप्पणी :—इस घोषणा के लिए यू० के० दि चैनल आईलैण्ड और आइल्ज आफ० मैन को शामिल करता है ।

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए प्रायोजना का नाम अथवा संख्या				भुगतान			
वचनबद्ध राशि	प्रविष्टि की तारीख	स्वीकृति ———— दिनांक अद्याक्षर	दिनांक	राशि	पी ए सं०	अद्याक्षर	

अनुबंध-5बी

यू० के०—भारत पूंजी निवेश ऋण, 1969 10 लाख पौंड ग्यारह एक सौ ग्यारह खंड

केवल रसायन तथा संबंधित उत्पादों के लिए संविदा प्रमाण-पत्र

1. संविदा का दिनांक————————————संविदा संख्या————————————

आयात लाइसेंस संख्या———————————————दिनांक————————————————

प्रायोजना शीर्षक (यदि उपयुक्त हो)

2. खरीदार को दी जाने वाले उत्पाद (दो) का विवरण (टिप्पणी ए)	पौंड कीमत	यू० के० सीमा-शुल्क वर्गीकरण सं० (टिप्पणी बी)	क्या उत्पाद यू० के० मूल का है ? (टिप्पणी सी देखिए) हां या न लिखिए

3. खरीदार द्वारा भुगतान की जाने वाली संविदा की कुल अनुमानित कीमत स्टरलिंग में ————————————————————पौंड

4. (घोषणा) मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्ता द्वारा मैं यू० के० में नियोजित किया गया हूं और इस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार मुझे प्राप्त है और उपर्युक्त सूचना सही है ।

हस्ताक्षरित ————————————

पद जिस पर है ————————————

दिनांक———————————— संविदाकर्ता का नाम तथा पता————————————

टिप्पणी

ए० 1. इस प्रपत्र का प्रयोग केवल रसायन तथा संबंधित उत्पादों के लिए किया जाना है जिन में अधिकतर को यू० के० शुल्क सूची के अध्याय 15, 24, 28–35 तथा 37–40 के उपयुक्त उप-शीर्षकों द्वारा सम्मिलित किया गया है ।

बी० 1. देखिए :

(1) एच० एम० कस्टस तथा एक्साइज टेरिफ एच० एम० एस० ओ०

(2) ब्रेसल्स नामावली एच० एम० एस० ओ० से रसायनों का वर्गीकरण

(1) यदि उत्पाद पूर्णतया यू०के० देशी माल से तैयार किया गया है तो वह उत्पाद यू०के० मूल का समझा जाता है । अथवा उपयुक्त ई० एफ० टी० ए० विशेषक विधि के अनुसार पूर्णतया अथवा अंशतः आयातित माल प्रयोग किया जाता है ।

(2) एच० एम० एस० ओ० निर्यातकों के प्रयोग के लिए ई० एफ० टी० ए० विशेषक विधि, ई० एफ० टी० ए० सार-संग्रह के सूचक 1 में बताई गई है ।

(3) प्रस्तुत घोषणा के लिए इस पर बल दिया जाना है कि विकल्पी प्रतिशत निकष लागू नहीं होता है ।

(4) उपयुक्त सूचक में जहां कहीं शब्द क्षेत्र मूल आते है उनका तात्पर्य केवल यू० के० मूल से है ।

(5) प्रस्तुत घोषणा के लिए मूल माल की सूची (इ० एफ० टी० ए० सारसंग्रह का सूचक-3) लागू नहीं होता है ।

(6) यदि विषयाधीन माल के लिए विशेषक विधि सूचिबद्ध नही है तो समुद्र पार विकास मंत्रालय वित्त विभाग ऋण प्रशासन शाखा, इलैन्ड हाउस, स्टैग प्लेस, लन्दन एस० डब्ल० आई० से सलाह ले लेनी चाहिए ।

डी० 1. इस घोषणा के लिए यू० के० चैनल आईलैंड तथा आईल आफ मैन को शामिल करता है ।

अनुबंध 6

सार्वजनिक सूचना संख्या————————आई० टी० सी० (पी० एन०)/70 दिनांक ———— के लिए अनुबंध–7

संविदा की अधिसूचना

यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1969 (10 लाख आई० एफ० सी० आई० सेगमेंट)
समुद्रपार विकास मंत्रालय
इलैन्ड हाऊस,
स्टैग प्लेस,
लन्दन, एस० डब्लू–1

संविदा की अधिसूचना सं०————————

संविदा का विवरण निम्नलिखित है जिसके अन्तर्गत यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपरोक्त ऋण की शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा ।

1. यू० के० संविदाकर्ता का नाम तथा पता

2. संविदा का दिनांक

3. खरीदार का नाम

4. माल का संक्षिप्त ब्यौरा
तथा/अथवा कार्य अथवा सेवाएं

5. संविदा का मूल्य

6. भुगतान की शर्तें

आयातक द्वारा अथवा उसकी ओर से

हस्ताक्षरित———————————

दिनांक ———————————

प्रतिहस्ताक्षरित———————————

दिनांक———————————

आई० एफ० सी० आई० के प्राधिकृत अधिकारी
के हस्ताक्षर———————— ————

अनुबंध 7

यू० के० भारत पूंजी निवेश ऋण 1969, 10 लाख आई० एफ० सी० आई० खंड भुगतान प्रमाण पत्र

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि

1. नीचे सूची बद्ध किए गए बीजक में उल्लिखित भुगतान, वह या उसकी प्रतियां इस भुगतान-प्रमाण-पत्र के साथ लगी रहती हैं, बाकी है या नीचे लिखे गए संविदाकर्ता और———————— खरीदार————————————के बीच संविदा संख्या————————तारीख———— ————————के सम्बन्ध में बाकी पूरे किए जाने वाले है, और संविदा प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत अधिभूचित इस संविदा के विवरण के अनुसार है जो तारीख————————को उक्त संविदाकर्ता के नाम पर हस्ताक्षरित हैं।

संविदाकर्ता के बीजक की संख्या	तारीख	धनराशि पौ०	माल कार्य और/या सेवाओं का संक्षिप्त विवरण

2. कंडिका 1 में जो धन-राशियां विशिष्टिकृत की गई है वे संविदा प्रमाण-पत्र की कंडिका 5, 6, अथवा 7 में बताई गई के लिए किसी अतिरिक्त विदेशी वस्तु को शामिल नहीं करती है ।

3. नीचे लिखे संविदाकर्ता के नाम पर इस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने का मुझे अधिकार है ।

हस्ताक्षरित———————————

पद जिस पर वह है ———————————

———————के लिए और के नाम पर

तारीख———————————

टिप्पणी :—इस घोषणा के लिए यू० के०, चैनल आफ० आइल्ज और आइल्ज आफ मैन को शामिल करता है ।

आर० जे० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971